भारतीय कृषि में बीज संप्रभुता एवं बीज विविधता की बहाली

मुख्य प्रश्न : भारतीय कृषि में बीज विविधता की बहाली कैसे हो सकती है? किस प्रकार किसानों के बीज, उनकी बीज संरक्षण विधियाँ एवं समुदाय-प्रबंधित बीज व्यवस्था (सीएमएसएस) के लिए उपयुक्त माहौल तैयार किया जा सकता है? किसानों के हित में वाणिज्यिक बीज व्यापार का नियमन कैसे हो? बीज को किस तरह से बीज एकाधिकारी कंपनियों, जैव-सम्पदा की चोरी तथा बौद्धिक-संपदा व्यवस्था से बचाया जा सकता है?

पृष्ठभूमि

बीज खेती का सबसे महत्वपूर्ण अंग/आदान है। आज भी भारत में प्रयोग किया जाने वाला अधिकांश बीज किसान की अपनी फसल से आता है। असल में हमारें यहाँ बीज उत्पादन एवं फसल उत्पादन में कोई अंतर ही नहीं रहा है। सक्रिय सरकारी नीति, कानूनी व्यवस्था, तकनीक और बाज़ार व्यवस्था के प्रभाव में समय के साथ, धीरे धीरे किसान बीज के लिए पहले सरकारी एजेंसियों और फिर निजी कंपनियों पर निर्भर हो गया है। किसान जो परंपरागत रूप से बीज विकसित करने वाले, बीज चुनने वाले और बीज के संरक्षक थे, अब इस हालत में पहुँच गए हैं कि वे बीज संरक्षण और बीज चयन के अपने कौशल, ज्ञान और आदत को खोते जा रहे रहे हैं/ खो चुके हैं। इस प्रक्रिया को राज्यों के कृषि विभागों द्वारा 'बीज बदलाव दर' के लक्ष्य तय करने से प्रोत्साहन मिलता है एवं निवेश इस उद्देश्य से किया जाता है कि किसान अपना ही बीज (पुनः) प्रयोग न कर सके।

संकर बीजों के विकास से खेती में एक नए दौर की शुरुआत हुई जिस में तकनीक का प्रयोग किसानों की बाहरी बीजों पर निर्भरता बढ़ाने के लिए हुआ। इन बीजों को बचा कर बोने का कोई अर्थ ही नहीं है (क्योंकि इस से पैदावार घट जाती है) इस लिए किसान को बार-बार बाज़ार से बीज लेने पड़ते हैं। वैसे भी ये बीज, प्रचारित की गई उच्च पैदावार, तभी दे पाते हैं जब इन के साथ बाहरी आदान बड़ी मात्रा में प्रयोग किए जाएँ। बीज कंपनियाँ केवल संकर बीजों के उत्पादन एवं बिक्री को ही पसंद करती हैं ताकि उनका बाज़ार निरंतर बना रहे। आनुवांशिक रूप से संशोधित (जीएम) बीजों के आने के साथ समस्या और भी गम्भीर हो गयी है क्योंकि चुनिन्दा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास इस प्रौद्योगिकी का नियंत्रण है जिससे बीज व्यापार में नई तरह की एकाधिकारी व्यवस्था पनप रही है। इस के चलते भारतीय किसानों द्वारा विभिन्न उत्पादक परिस्थितियों और विभिन्न तरह के उपभोग के अनुकूल विकसित समृद्ध जैव विविधता

चौथे किसान स्वराज सम्मेलन, अहमदाबाद (2-4 नवंबर 2018) में चर्चा के लिए उषा सूलपनि एवं कृष्णा प्रसाद द्वारा ड़ा अनुपम पॉल और सौमिक बैनर्जी के सहयोग से तैयार किया गया। इस में तीसरे किसान स्वराज सम्मेलन (हैदराबाद, 2016) के लिए तैयार किए गए नोट का भी उपयोग किया गया है। टिप्पणी prasadgk12@gmail.com पर भेजें।

का क्षरण हो रहा है । धान की हजारों किस्में या दलहनों की सैंकड़ों किस्में जो भिन्न भिन्न तरह का पोषण उपलब्ध कराती थी और किसानों की विविध उत्पादन परिस्थितियों के लिए अनुकूल थी, लुप्त हो गयी हैं और उन का स्थान ले लिया है चंद ऐसी क़िस्मों ने जो केवल 'उच्च उत्पादन' के उद्देश्य से विकसित की गई हैं। इस से किसान एवं उपभोक्ता, दोनों, बीज और इस के चलते अपने भोजन के चयन के लिए, बीज उद्योग पर स्थायी रूप से निर्भर हो गए हैं। इसका सीधा प्रभाव किसानों की आय सुरक्षा पर पड़ा है क्योंकि बीजों के दाम लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। इस से खाद्य और पोषण सुरक्षा एवं निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित हुई है।

बीज विविधता बहाली के लिए बीज संप्रभुता/स्वतंत्रता आवश्यक है

बीज के विशिष्ट संदर्भ में संप्रभुता का अर्थ है बीज संरक्षक या छोटे किसानों को यह निर्णय लेने का अधिकार हो कि उनकी अपनी उत्पादन परिस्थितियों में किस प्रकार के बीज उपयुक्त हैं, वो क्या उगाना और बोना चाहते हैं (क्योंकि वे स्थानीय संदर्भ एवं ज़रूरत को बेहतर समझने की स्थिति में होते हैं)। इस में निम्न पहलू शामिल हैं: समय पर उपलब्धता, विविधता, अच्छी गुणवत्ता और उपयुक्तता हो, सस्ता हो, यहाँ तक की बिना पैसे खर्च किए भी उपलब्ध हो, बीज के गुणवत्ता के प्रति किसी की जवाबदेही हो, और बीज सामुदायिक पद्धति के आधार पर 'खुले स्त्रोत' पर आधारित हो (जिसका मतलब है बीज विकास के किसी चरण में भी बौद्धिक सम्पदा अधिकार लागू न हों)। इस में किसान द्वारा बीज विकास और चयन, बीज संरक्षण और भंडारण, बीज उपचार आदि संबन्धित ज्ञान और पद्धतियों का सम्मान करना और उनको बनाए रखना भी शामिल है। इस में बीज की विशिष्ट क़िस्मों के पैदावार से इतर गुणों को समझना, उन का सम्मान करना और उन्हें बनाए रखना भी शामिल है। खुद के बीज का संरक्षण और चुनाव करने से नवाचार प्रासंगिक बना रहता है, जड़ों से जुड़ा रहता है। इसके लिए ज़रूरी है कि नई क़िस्मों को विकसित करने वाले बीज संरक्षकों या किसानों की हर तरह के बीजों (जर्मप्लाज्म) और पौधरोपण सामग्री, वो चाहे औपचारिक क्षेत्र में उपलब्ध हो या अनौपचारिक क्षेत्र में, तक पर्याप्त एवं बिना रोकटोक पहुँच होनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ज्ञानी व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं को उचित पहचान मिले एवं नए ज्ञान के सृजन की उनकी क्षमताओं को समर्थन और प्रोत्साहन मिले। जो बीज की संप्रभुता के लिए प्रयासरत हैं उनका यह भी मानना है कि किसान केवल नयी प्रोद्योगिकी का उपयोग करने वाले न होकर, नयी क़िस्मों के सह-सर्जक भी हों। बौद्धिक सम्पदा अधिकार ही नए बीज विकसित करने वालों का एकमात्र पुरस्कार नहीं होना चाहिए। चाहे किसान प्रबंधित बीज व्यवस्था (एफ़एमएसएस) हो या

चौथे किसान स्वराज सम्मेलन, अहमदाबाद (2-4 नवंबर 2018) में चर्चा के लिए उषा सूलपनि एवं कृष्णा प्रसाद द्वारा ड़ा अनुपम पॉल और सौमिक बैनर्जी के सहयोग से तैयार किये गए मूल अँग्रेजी नोट का अनुवाद। इस में तीसरे किसान स्वराज सम्मेलन (हैदराबाद, 2016) के लिए तैयार किए गए नोट का भी उपयोग किया गया है। टिप्पणी prasadgk12@gmail.com पर भेजें।

सार्वजनिक क्षेत्र, बौद्धिक सम्पदा अधिकार से बीजों का निजीकरण हो जाता है, एकाधिकार पनपता है और नवाचार के रास्ते में अड़चन आती हैं। बीज संप्रभुता के लिए आवश्यक शर्त यह है कि इस के लिए बे-रोकटोक पूरी आज़ादी हो। दूसरे शब्दों में, राज्य के कानून या नीतियाँ किसान की बीज पद्धति पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध न लगाएँ। इसका अर्थ है कि राज्य और अन्य सब ऐसा कोई काम न करे जो किसान के आड़े आए।

बीज विविधता के बहाली की ज़रूरत

भारत के खेतों में बीज विविधता की बहाली केवल स्वयत्ता या संप्रभुता का ही मसला नहीं है। यह जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में लचीलेपन के लिए भी आवश्यक है। यह फसल के लिए मिट्टी, कीट एवं बीमारी प्रबंधन के लिए खेत पर अपनाई जाने वाली कृषि रणनीति से भी जुड़ा है। यह कृषक परिवार एवं समुदाय की पोषण सुरक्षा से भी जुड़ा है। इसका सम्बंध स्थानीय स्तर पर पर्याप्त एवं निरंतर उपलब्ध रोजगार के सृजन से भी है। यह विविध सांस्कृतिक मान्यताओं और प्रथाओं से भी जुड़ा मुद्दा है। यह खेती की हमारी अत्यंत विविध परिस्थितियों से तालमेल बैठने से भी जुड़ा है। यह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है कि किसानों को अपनी जरूरतों के अनुसार खोज/नवाचार का मौका भी मिलना चाहिए एवं उन को समय पर मुफ्त/बिना पैसे के/सस्ते दाम पर पर्याप्त मात्रा में विविध बीज भी उपलब्ध होने चाहिए।

बीज विविधता बहाली से संबन्धित ज़मीनी गतिविधियाँ

पूरे भारत में ऐसे प्रभावी उदाहरण देखे जा सकते हैं कि किस प्रकार ज़मीनी स्तर पर व्यवस्थित अभियान चला कर, ज़मीनी स्तर पर दखल दे कर खेतों में बीज विविधता को जीवित रखा जा सकता है या बहाल किया जा सकता है। इस में शामिल हैं डा रिच्छारिया द्वारा केंद्रीय और पूर्वी भारत में धान वैविध्य को बचाने के लिए किया गया काम, उतराखंड का बीज बचाओ आंदोलन जिस ने हिमाचल की तल्हट्टी में परंपरागत 'बारानाजा' पद्धति को बचाए रखा है, तेलंगाना की डेकन विकास सोसायटी जिस ने दक्षिण भारत के अर्ध-शुष्क पठारों में मोटे आनाज आधारित खेती के लिए काम किया है, कर्नाटक/तमिलनाडु की ग्रीन फाउंडेशन, तमिलनाडु का भारतीय ज्ञान व्यवस्था केंद्र (सीआईकेएस), पहले पश्चिम बंगाल और बाद में ओड़ीशा के डा देबल देव एवं वृही बीज बैंक, कर्नाटक का सहज समृद्ध, आदिवासियों के साथ काम करने वाली पश्चिमी महाराष्ट्र की बीएआईएफ़, ओड़ीसा के नयागढ़ की संभव, औरोविल्ले का कंकर बाग (पेबल गार्डन), पश्चिमी घाट की वनस्त्री, कई राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, ओड़ीसा, झारखंड, केरल, तमिलनाडु के

चौथे किसान स्वराज सम्मेलन, अहमदाबाद (2-4 नवंबर 2018) में चर्चा के लिए उषा सूलपनि एवं कृष्णा प्रसाद द्वारा ड़ा अनुपम पॉल और सौमिक बैनर्जी के सहयोग से तैयार किये गए मूल अँग्रेजी नोट का अनुवाद। इस में तीसरे किसान स्वराज सम्मेलन (हैदराबाद, 2016) के लिए तैयार किए गए नोट का भी उपयोग किया गया है। टिप्पणी **prasadgk12@gmail.com** पर भेजें।

हमारे-अपने धान बचाओ अभियान। ऊपर लिखित प्रयासों के मुख्य कार्यकर्ताओं द्वारा 2015 में सामूहिक रूप से भारत बीज स्वराज मंच (बीबीएसएम) की स्थापना की गई। वर्तमान में इस मंच में 250 से अधिक बीज संरक्षक और बीज विकसित करने वाले किसान शामिल हैं। ये मिल कर परस्पर एक दूसरे से सीखते हैं और मिलजुल कर बीज वैविध्य उत्सव मनाते हैं। सतत कृषि केंद्र (सीएसए) के नेतृत्व में 'खुले स्रोत के बीजों' के लिए एक और मंच भी है जो 'सामग्री हस्तांतरण समझौते' (एमटीए) में ऐसे क़ानूनी प्रावधानों के तहत हर प्रकार के बीजों को बांटता है जिस से पहले किया गया काम तो चिन्हित होता है पर उस पर भविष्य में भी कोई बौद्धिक सम्पदा अधिकार स्थापित नहीं हो सकता। 2017 में, विशेष तौर पर देसी कपास की बहाली और पर्यावरण-अनुकूल वस्त्र निर्माण व्यवस्था बनाने के लिए 'भारत देसी कपास समूह (आईडीसीसी)' स्थापित किया गया। आन्धप्रदेश जैसे राज्यों में राज्य सरकार द्वारा सामुदयिक आत्मनिर्भरता और बीज विविधता में सुधार के लिये बड़े कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इन में शामिल हैं मूँगफली के लिए समुदाय द्वारा संचालित बीज व्यवस्था (सीएमएसएस) जिस का अपना एक निराला संस्थागत स्वरूप है, एवं "नवधान्य" कार्यक्रम जिस के तहत वैविध्य पूर्ण खेती को बढ़ावा दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के एक कार्यक्रम के तहत, जो कृषि प्रशिक्षण केंद्र, नाडिया में 2015 से चल रहा है, किसानों द्वारा विकसित बीजों को शुद्ध कर के, फिर उस का उत्पादन कर के किसानों में बांटा जा रहा है। किसानों को ये बीज बहुत पसंद आ रहे हैं। यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि न केवल नागरिक समाज द्वारा अपितु सरकारों द्वारा भी बड़े पैमाने पर प्रयास संभव हैं। इस से भी बड़ी बात यह है कि देश के बड़े हिस्से ऐसे हैं जहां बीज विविधता के मौलिक निर्माता और संरक्षक, आदिवासी किसान, अपने खेतों में अभी भी परंपरागत कृषि विविधता बचाएं हुए हैं।

उपरोक्त वर्णित अनुभवों और पहलकदमियों से निम्नलिखित बिन्दु उभरते हैं:

- विषय केन्द्रित (फोकस्ड) समूह चर्चाओं, खेत भ्रमण और सामूहिक भागेदारी इत्यादि से विभिन्न प्रकार की फसलों और फसलों की किस्मों की निशानदेही की जा सकती है। इसी तरह से पुरानी क़िस्मों की भी निशानदेही की जा सकती है ताकि जैव-विविधता में हुए नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा सके।
- चाहे मात्रा थोड़ी ही हो विलुप्त क़िस्मों के बीजों की गहन तलाश और ज़रूरत पड़ने पर औपचारिक शोध संस्थानों से इन को प्राप्त करना और यहाँ तक कि दूसरे क्षेत्रों में भी उन का प्रयोग कर के देखना (बड़े पैमाने पर बीज फैलाने से पहले ऐसे बीजों का पहले छोटे पैमाने पर प्रयोग कर के देखना चाहिए)

चौथे किसान स्वराज सम्मेलन, अहमदाबाद (2-4 नवंबर 2018) में चर्चा के लिए उषा सूलपनि एवं कृष्णा प्रसाद द्वारा ड़ा अनुपम पॉल और सौमिक बैनर्जी के सहयोग से तैयार किये गए मूल अँग्रेजी नोट का अनुवाद। इस में तीसरे किसान स्वराज सम्मेलन (हैदराबाद, 2016) के लिए तैयार किए गए नोट का भी उपयोग किया गया है। टिप्पणी **prasadgk12@gmail.com** पर भेजें।

❖ शुरू में छोटे पैमाने पर बीजों का उत्पादन करना

❖ बीज की क़िस्मों का 'लक्षण वर्णन' और अगर संसाधन उपलब्ध हों या कोई शोध संस्थान मुफ्त में ये काम करने को तैयार हो तो इन क़िस्मों की पौष्टिकता का विश्लेषण – बीज सूची पत्रक तैयार किए जाएँ ताकि इच्छुक किसानों के बीच सहजता से आदान प्रदान हो सके

❖ शुद्धता एवं अन्य मानकों को ध्यान में रखते हुए कुछ बीज संचय करना और अतिरिक्त बीज का इच्छुक किसानों के बीच वितरण

❖ किसानों की प्रतिक्रिया एकत्रित करना ताकि कुछ मानकों का लक्ष्ण निर्धारण और उन का प्रचार किसानों की पसंद और समीक्षा से निर्धारित हो सके। इस उद्देश्य के लिए 'विविधता क्षेत्रों' की स्थापना उपयोगी होगी।

❖ बीज चयन, भंडारण और उपचार सम्बन्धी क्षमताओं का संवर्धन और सूचना, शिक्षा और प्रचार (आईईसी) सामग्री का विकास

❖ विभिन्न क़िस्मों का शहरी और ग्रामीण, दोनों तरह के उपभोक्ताओं में प्रचार। इस के लिए विशेष पाक विधि पुस्तिकाओं, पाक मेलों, भोजन मेलों, बिक्री मेलों एवं इन क़िस्मों की पोषण सामर्थ्य के प्रचार का सहारा लिया जा सकता है,

❖ इन की शुद्धता और कुछ गुणों में सुधार के लिए कभी कभार अतिरिक्त शोध कार्य।

यह देखा गया है कि किसान तभी विविधता बहाली में रुचि लेते हैं जब स्वयं के उपभोग के साथ साथ बिक्री की संभावना भी हो। इस कार्य में महिलाओं के लिए स्वायत्ता और चयन के मौके भी उपलब्ध कराये जाने चाहिए ताकि वो अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ा सकें। यह रेखांकित करना भी महवपूर्ण है कि सरकारी व्यवस्था के माध्यम से भी काफी सकारात्मक परिवर्तन संभव है।

<u>नीतिगत स्तर पर आवश्यक बदलाव</u>

बीज संबंधी कानून और नीतियाँ: अंतर्राष्ट्रीय

❖ दक्षिण के अन्य देशों के साथ मिल कर भारत सरकार को खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ़एओ) पर यह दबाव डालना चाहिए कि वह ऐसे दिशा निर्देश जारी करे कि सरकारें किसानों के अधिकारों संबंधी प्रावधानों को लागू करें और खाद्य और कृषि के लिए वानस्पतिक आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि में बीज संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए।

चौथे किसान स्वराज सम्मेलन, अहमदाबाद (2-4 नवंबर 2018) में चर्चा के लिए उषा सूलपनि एवं कृष्णा प्रसाद द्वारा ड़ा अनुपम पॉल और सौमिक बैनर्जी के सहयोग से तैयार किये गए मूल अँग्रेजी नोट का अनुवाद। इस में तीसरे किसान स्वराज सम्मेलन (हैदराबाद, 2016) के लिए तैयार किए गए नोट का भी उपयोग किया गया है। टिप्पणी **prasadgk12@gmail.com** पर भेजें।

❖ सभी वर्तमान और प्रस्तावित बीज संबंधी नीतियों का टिकाऊ खेती के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इस में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि बीज विकास के सारे औपचारिक कार्य रसायनिक खेती में होते हैं और कृषि-पारिस्थितिक/जैविक खेती में नहीं। हालिया अनुसंधान में यह पाया गया है कि बीज उपचार के तंबाकू आधारित नए तरीकों (निओ-निकोटिनोइड्स) से जैव विविधता पर काफी बुरा असर पड़ता है। इस स्थिति में बुनियादी बदलाव के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

❖ अन्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता, जैसे व्यापार और निवेश संधि में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह बीज संप्रभुता के खिलाफ न जाए।

बीज संबंधी कानून और नीतियाँ: राष्ट्रीय

❖ बीजों पर निर्णय प्रक्रिया (नियमन एवं क़िस्मों, दोनों बाबत) का विकेन्द्रीकरण किया जाए

❖ संरक्षण हेतु स्थापित स्थानीय संस्थान, जो विभिन्न नियामक व्यवस्थाओं के तहत स्थापित की गई हैं, का उपयोग बीज विविधता बहाली के लिए भी किया जाना चाहिए। जैव विविधता कानून के तहत स्थापित राज्य स्तरीय जैव-विविधता बोर्ड (एसबीबी) एवं स्थानीय जैव-विविधता प्रबंधन समितियां (बीएमसी) को मौके पर स्थानीय क़िस्मों का संरक्षण करने को कहा जाए। उन को ऐसे संरक्षण को होने वाले खतरों को रोकने के लिए शक्तियाँ भी दी जाएँ।

❖ पर्याप्त निवेश के साथ महिलाओं द्वारा संचालित सामुदायिक बीज बैंकों की स्थापना की जानी चाहिए।

❖ वर्तमान बीज ग्राम कार्यक्रम में बदलाव कर के यह सुनिश्चित किया जाए कि समुदाय स्तर पर बीज आत्मनिर्भरता हो; इस के लिए स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त एवं विविध किस्म के बीज इस में शामिल होने चाहिए (जैसा की आंध्र प्रदेश के सीएमएसएस/नवधान्य कार्यक्रम में किया गया है)।

❖ देश भर के बीज संरक्षकों को बीज संरक्षण की महत्वपूर्ण सेवा के लिए विशेष सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

❖ बीज विविधता को बीमारी नियंत्रण एवं जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में लचीलेपन, दोनों के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पर्यावरण अनुकूल खेती करने वाले किसानों द्वारा उपलब्ध कराई गई पर्यावरण सेवा के लिए उन्हें भुगतान किया जाना चाहिए जो इस उद्देश्य के लिए विकसित वैविध्य पैमाने पर आधारित हो सकती हैं।

❖ विभिन्न क़िस्मों का विभिन्न कृषि पारिस्थितिक स्थितियों के लिए अनुकूलता एवं उन की गुणवत्ता के संदर्भ में उचित दस्तावेजीकरण करने से किसानों तक इन बीजों की पहुँच में सुधार

चौथे किसान स्वराज सम्मेलन, अहमदाबाद (2-4 नवंबर 2018) में चर्चा के लिए उषा सूलपनि एवं कृष्णा प्रसाद द्वारा ड़ा अनुपम पॉल और सौमिक बैनर्जी के सहयोग से तैयार किये गए मूल अँग्रेजी नोट का अनुवाद। इस में तीसरे किसान स्वराज सम्मेलन (हैदराबाद, 2016) के लिए तैयार किए गए नोट का भी उपयोग किया गया है। टिप्पणी **prasadgk12@gmail.com** पर भेजें।

होगा और पहले से हुए काम को रेखांकित करने से जैव-चोरी पर भी रोक लगेगी। सार्वजानिक जीन बैंकों को भी ऐसा दस्तावेज़ीकरण करना चाहिए और किसान समूहों के साथ अपने ज्ञान और अपनी सामग्री को खुल कर सांझा करना चाहिए।

❖ महिला स्वयं सहायता समूह, किसानों की सहकारी समितियों और किसान उत्पादक कम्पनियों के सहयोग से औपचारिक बीज व्यवस्था किसानों की जरूरतों को बड़े पैमाने पर पूरा करने में सहायक हो सकती है। परंतु इस के लिए खुले स्रोत की बीज व्यवस्था को खड़ा करना और अपनाना होगा ताकि विभिन्न समूह बिना इस डर के कोई इन पर अपना एकाधिकार कर लेगा, निसंकोच अपनी बीज सांझे कर सकें।

वानस्पतिक (पौधों की) किस्मों एवं किसान अधिकार संरक्षण कानून, जैविक विविधता कानून और पेटेंट कानून

○ पौधों की किस्मों और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किसानों के लिए उन किस्मों के लिए बौद्धिक सम्पदा (आईपी) पंजीकरण अनिवार्य नहीं होना चाहिए जिनको उन्होने तैयार किया है या जिनको सामूहिक रूप से विकसित किया गया है। किसानों की क़िस्मों का पौध-किस्मों की सुरक्षा और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत पंजीकरण होने से किसानों के बीच झगड़े और मुक़दमेबाज़ी नहीं होनी चाहिए और इस से किसी किसान को या किसान समूह को किसी तरह के एकाधिकार नहीं मिलने चाहिए और न ही यह पंजीकरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होना चाहिए।

○ जैव चोरी तथा बौद्धिक सम्पदा अधिकार के दूसरों के दावों को रोकने के लिए किसानों की मौजूदा सभी किस्मों की सारी जानकारी ऑनलाइन प्रकाशित की जानी चाहिए ताकि वर्तमान स्थिति/कार्य रेखांकित हो जाए।

○ क्योंकि भारत में चावल की कई स्थानीय क़िस्मों की छपी हुई ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध है, इसे पुन: प्रकाशित किया जाना चाहिए।

○ राज्य द्वारा किसानों द्वारा विकसित किस्मों के संरक्षण पर शोध द्वारा विकसित क़िस्मों के बराबर संसाधन एवं ध्यान दिया जाना चाहिए।

○ किसानों की किस्मों को आधिकारिक बीज आपूर्ति व्यवस्था में शामिल किया जाना चाहिए।

○ नई किस्म विकसित करने वाले किसानों को बौद्धिक सम्पदा व्यवस्था से इतर सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस के लिए मात्र पौध-किस्म प्रमाण पत्र और भौगोलिक पहचान जारी करने से अधिक कुछ किया जाना चाहिए। जहां कहीं भी बीज संरक्षक तंत्र मांग करें, वहीं

खुले स्रोत के बीज की पहलकदमी का सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा निर्देशन एवं सहयोग किया जाना चाहिए।

- पौधों की किस्मों एवं कृषक अधिकार संरक्षण कानून (पीपीवीएफआर) प्राधिकरण को धारा 8(2) (सी) के तहत किसानों की क़िस्मों के दस्तावेजीकरण, सूचीकरण और सूची पत्रक बनाने की अपनी एक अनिवार्य ज़िम्मेदारी को पूरी गंभीरता के साथ पूरा करना चाहिए।
- उपरोक्त कानून, पीपीवी एंड एफआर, की धारा 29 के अनुसार "*अधिनियम में शामिल किसी भी प्रावधान के बावजूद, इस अधिनियम के तहत किसी भी ऐसी किस्म का पंजीकरण नहीं किया जाएगा जिस किस्म के व्यावसायिक उपयोग को, सार्वजनिक व्यवस्था या सार्वजनिक नैतिकता या मानव, पशु और पौधों के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा या पर्यावरण को गंभीर नुकसान के चलते, रोकना आवश्यक है*"। इस धारा को लागू किया जाना चाहिए।
- बदलते हालात से अनुकूलन और अंतिम उपयोगकर्ता, किसानों द्वारा सतर्क चयन के चलते, जैव विविधता लगातार विकसित होती रहती है और किसानों की किस्में बदलती रहती हैं। इसलिए किसानों की किस्मों का उसी पैमाने से आंकलन नहीं किया जा सकता जिस का कि उद्योग को एकाधिकारवादी अधिकार देने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि किसानों की क़िस्मों में कोई एकाधिकारवादी अधिकार नहीं दिया जाता इसलिए पीपीवी एंड एफआर के वर्तमान नियमों में ऐसे उचित बदलाव किये जाने चाहिए ताकि क़िस्मों के इन बदलाव को भी संरक्षण दिया जा सके।
- कई राज्यों और कई क्षेत्रों के किसान समूहों द्वारा प्रयोग की जा रही क़िस्मों का किसी भी बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रक्रिया के तहत पंजीकरण नहीं किया जाना चाहिए और इन का राष्ट्रीय धरोहर के तौर पर संरक्षण किया जाना चाहिए क्योंकि ये विविध किसान समूह अनंत काल से इन का संरक्षण करते आ रहे हैं और खाद्य और आजीविका के लिए इन पर निर्भर हैं।
- ऐसे कई मौजूदा क़ानून हैं जैसे कि जैविक विविधता अधिनियम 2002 जो स्थानीय संरक्षण, लोगों के परंपरागत ज्ञान, बीज की जैविक चोरी को प्रभावित करते हैं, इन पर विचार की आवश्यकता है।
- बीज पर कोई पेटेंट नहीं दिया जाना चाहिए। इस के लिए अनुवांशिक गुणों/अनुवांशिक अनुक्रमों पर पेटेंट जैसे अप्रत्यक्ष माध्यमों से पेटेंट पर भी रोक होनी चाहिए।

व्यवसायिक बीज व्यापार का नियमन

- बड़ी बीज कंपनियों पर निर्भरता को कम से कम किया जाए क्योंकि इन का कृषि-विविधता, बीज संप्रभुता और किसानों की आजीविका सुरक्षा पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अगर कृषि

चौथे किसान स्वराज सम्मेलन, अहमदाबाद (2-4 नवंबर 2018) में चर्चा के लिए उषा सूलपनि एवं कृष्णा प्रसाद द्वारा ड़ा अनुपम पॉल और सौमिक बैनर्जी के सहयोग से तैयार किये गए मूल अँग्रेजी नोट का अनुवाद। इस में तीसरे किसान स्वराज सम्मेलन (हैदराबाद, 2016) के लिए तैयार किए गए नोट का भी उपयोग किया गया है। टिप्पणी **prasadgk12@gmail.com** पर भेजें।

पारिस्थितिकी को बढ़ावा देना है तो नीति निर्धारकों को समझना होगा कि कृषि के वर्तमान उद्योग माडल को बदलना होगा। 'बीज बदलाव दर' जवाबदेही का मुख्य मानक नहीं बना रह सकता।

- केंद्रीय और राज्य सरकारों, दोनों को बीज कीमत निर्धारण का ज़िम्मेदारी पूर्वक नियमन और निगरानी करनी होगी। बीज की कीमत में स्पष्टतय किसी गुण विशेष की फीस/लाइसेंस शुल्क या रॉयल्टी भी शामिल हैं।
- बीज उद्योग में केन्द्रीकरण को बढ़ने से रोकने के लिए बड़ी कंपनियों के विलयन को राष्ट्रीय प्रतियोगिता कानून के तहत रोका जाना चाहिए।
- विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बिना किसी वैज्ञानिक आधार और कानूनी जवाबदेही के विभिन्न बीज कंपनियों के साथ किए गए सार्वजनिक निजी-भागीदारी समझौतों को रद्द किया जाना चाहिए और निवेश को किसान नियंत्रित बीज व्यवस्था की ओर मोड़ना चाहिए। राष्ट्रीय कृषि शोध व्यवस्था (एनएआरएस) के तहत किए गए समझौतों (एमओयू) के साथ भी यही किया जाना चाहिए।
- क्योंकि भारतीय कानून में बीज को आवश्यक वस्तु माना जाता है इस लिए बीजों की आक्रामक विपणन व्यवस्था का कड़ाई से नियमन होना चाहिए। इस से कुछ हद तक किसानों की बीज के संदर्भ में 'अ-कुशलता निर्माण' प्रक्रिया, जिस का आजीविका सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ता है, पर रोक लगेगी।

सर्वजानिक क्षेत्र में बीज विकास

- बीज के सार्वजनिक क्षेत्र के शोध एवं विकास कार्यक्रम की दिशा बदल कर इस का रुख छोटे असिंचित किसान की ओर मोड़ना चाहिए।
- औपचारिक व्यवस्था में बीज विकास का काम जैविक खेती के माध्यम से और भागेदारी से क़िस्मों के चुनाव के नजरिये से किया जाना चाहिए।

आशा का विश्वास है कि देश भर में वर्तमान में जारी जैविक/ज़ीरो बजट प्राकृतिक खेती (ज़ेडबीएनएफ़) के कार्यक्रमों के माध्यम से, मोटे अनाजों पर आधारित खेती की बहाली इत्यादि से बीज विविधता को बढ़ाने की आपार संभावनाएं हैं। इस के लिए शोध एवं प्रसार विभागों के साथ साथ नागरिक संगठनों को एक साथ और मिल कर (सह-क्रिया सहित) काम करने की आवश्यकता है। इस के साथ ही उत्पादन एवं उपभोग दोनों छोरों पर विविध क़िस्मों के प्रचार की भी ज़रूरत है। अधिक जानकारी के लिए asha.kisanswaraj@yahoo.in पर संपर्क करें।

चौथे किसान स्वराज सम्मेलन, अहमदाबाद (2-4 नवंबर 2018) में चर्चा के लिए उषा सूलपनि एवं कृष्णा प्रसाद द्वारा ड़ा अनुपम पॉल और सौमिक बैनर्जी के सहयोग से तैयार किये गए मूल अँग्रेजी नोट का अनुवाद। इस में तीसरे किसान स्वराज सम्मेलन (हैदराबाद, 2016) के लिए तैयार किए गए नोट का भी उपयोग किया गया है। टिप्पणी **prasadgk12@gmail.com** पर भेजें।